

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप

अरेरा हिल्स(हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास) भोपाल

फोन नं 0755-2555726 फैक्स नं. 0755-2552899 ई-मेल mpprd.finance@mp.gov.in

= आदेश =

भोपाल, दिनांक /06/2020

क्रमांक/बजट/2020-21/ योजनान्तर्गत पूर्व में जारी स्वीकृति क्रमांक/ बजट/2020-21/6179-80, दिनांक 03.06.2020 राशि 78831400/- को निरस्त करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये योजना क्रमांक-4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान मद प्रावधानित राशि में से रपटा, स्टापडेम, पुलिया, बाउण्ड्रीवाल, आंगनवाड़ी, सामुदायिक भवन, घाट निर्माण, सी.सी.रोड, पंचायत भवन निर्माण की प्रथम किश्त की राशि संचालनालय के प्रशासकीय आदेश क्रमांक/पं.रा./निर्माण-178/2020/2103-04, दिनांक 15.02.2020 से संबंधित जिला पंचायतों को जारी किये जाने हेतु स्वीकृति जारी की गयी हैं। तदानुसार स्वीकृति के अनुक्रम में संबंधित जिला पंचायत सीहोर एवं भोपाल को राशि रूपयें 15425000/- (राशि रूपये-एक करोड़ चौवन लाख पच्चीस हजार मात्र) के आहरण की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय मांग संख्या-53-शीर्ष-3604-स्थानीय निकायो तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-{197-जनपद पंचायत को सहायता}-योजना क्रमांक-(4610)-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान-0103-अनुसूचित जाति(सबस्कीम)-#42-सहायक अनुदान-008-राज्य शासन द्वारा उदग्रहित और संग्रहित कर आदि का स्थानीय निकायों को समनुदेशन, के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

राशि का आहरण किया जाकर संलग्न सूची अनुसार संबंधित जिला पंचायत सीहोर एवं भोपाल के खातों में राशि अंतरित किया जाना सुनिश्चित करें।

(संचालक द्वारा आदेशित)

— 50/ —

संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक/बजट/2020-21/ 6256
प्रतिलिपि :-


भोपाल, दिनांक 05/06/2020

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को सूचनार्थ।
- 2 उप महालेखाकार(स्थानीय निकाय) म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
- 3 अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय शासन, पं0ग्रा0वि0विभाग की ओर सूचनार्थ।
- 4 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 5 आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश भोपाल।

निरंतर.....

// 02 //

- 6 संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
- 7 संयुक्त संचालक(निर्माण) पंचायत राज संचालनालय की ओर उनके आदेश क्रमांक/क्रमांक/पं.रा./निर्माण-178/2020/2103-04, दिनांक 15.02.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- 8 आहरण एवं संवितरण अधिकारी पंचायतराज संचालनालय म.प्र.की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 9 वरिष्ठ कोषालय अधिकारी विन्ध्यांचल भवन, भोपाल म.प्र.।
- 10 निज सहायक आयुक्त पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल ॥

 05/06/20
संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पंचायत राज संचालनालय म.प्र.भोपाल

वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना क्रमांक-4610(197)0103-स्टाम्प शुल्क मद से रपटा, स्टापडेम, पुलिया, बाउण्ड्रीवाल, आंगनवाड़ी, सामुदायिक भवन, घाट निर्माण, सी.सी.रोड, पंचायत भवन, निर्माण की प्रथम/द्वितीय किश्त का जिला पंचायतों को अंतरण

(राशि रूपये में)

| S No. | District Name | Account No | IFSC Code | Amount |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1 | Zila Panchayat, Sehore | '901010110016533 | BKID0009010 | 5750000.00 |
| 2 | Zila Panchayat, Bhopal | '900310110011039 | BKID0009003 | 9675000.00 |
| योग(राशि-एक करोड़ चौवन लाख पच्चीस हजार मात्र) | | | | 15425000.00 |

mjm 05/06/20
संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
म.प्र.भोपाल

पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप
अरेरा हिल्स (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास) भोपाल
(Telephone 0755-2557727, Fax-0755-2552899)
(E-mail address:dirpanchayat@mp.gov.in)

राशि का रकम- 5750000/-
रकम का रकम- 9675000/-

15425000/-

क्रमांक 6255-36 के जारी आदेश की
05/06/2020

क्रमांक/पं.रा./निर्माण-178/2020/2103

भोपाल, दिनांक 15/02/2020

//आदेश//

एतद द्वारा निम्नांकित ग्रामों में उनके सम्मुख दर्शाये गये श्रेणी के कुल 34 सामुदायिक भवन निर्माण हेतु योजना क्रमांक 4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान मद से करने हेतु राशि रुपये 547.50 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्र. | जिला | जनपद | ग्राम पंचायत | स्थान/ग्राम का नाम जहां सामुदायिक भवन बनाया जाना है। | श्रेणी | लागत राशि(लाख में) | | |
|------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------|-------|
| | | | | | | भवन | बाउण्ड्रीवाल | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | खण्डवा | पुनासा | मोरटक्का | मोरटक्का | टाईप-3 | 22.50 | 3.00 | 25.50 |
| 2 | विदिशा | विदिशा | बागरी | बागरी | टाईप-1 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
| 3 | विदिशा | विदिशा | भाटनी | आदमपुर | टाईप-1 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
| 4 | उज्जैन | उज्जैन | जमालपुरा | जमालपुरा | टाईप-1 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
| 5 | उज्जैन | घटिटाया | धनडा भल्ल | धनडा भल्ला | टाईप-1 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
| 6 | देवास | खातेगांव | इकलेरा | इकलेरा | टाईप-1 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
| 7 | सीहोरा | सीहोरा | कोडिया छीत् | कोडिया छीत् | टाईप-1 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
| 8 | सीहोरा | सीहोरा | सीलखेड़ा | सीलखेड़ा | टाईप-1 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
| 9 | सीहोरा | इछावर | अमलाहा | अमलाहा | टाईप-3 | 22.50 | 3.00 | 25.50 |
| 10 | भोपाल | बैरसिया | रुनाहा | रुनाहा | टाईप-3 | 22.50 | 3.00 | 25.50 |
| 11 | भोपाल | बैरसिया | मंगलगढ़ | मंगलगढ़ | टाईप-1 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
| 12 | भोपाल | बैरसिया | गढ़ाखुर्द | गढ़ाखुर्द | टाईप-1 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
| 13 | शिवपुरी | शिवपुरी | सतनवाड़ाकलां | सतनवाड़ाकलां | टाईप-3 | 22.50 | 3.00 | 25.50 |
| 14 | राजगढ़ | व्यावरा | परसूलिया | परसूलिया | टाईप-2 | 17.00 | 3.00 | 20.00 |
| 15 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | भगवनिया | भगवनिया | टाईप-1 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
| 16 | उज्जैन | उज्जैन | निनीरा | निनीरा | टाईप-2 | 17.00 | 3.00 | 20.00 |
| 17 | उज्जैन | उज्जैन | मुंजाखेड़ी | मुंजाखेड़ी | टाईप-2 | 17.00 | 3.00 | 20.00 |
| 18 | उज्जैन | घटिटाया | पानबड़ोदिया | पानबड़ोदिया | टाईप-1 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
| 19 | भोपाल | बैरसिया | बागसी | बागसी | टाईप-2 | 17.00 | 3.00 | 20.00 |
| 20 | भोपाल | बैरसिया | ललोई | ललोई | टाईप-2 | 17.00 | 3.00 | 20.00 |
| 21 | भोपाल | बैरसिया | परसोरा | हिनीतिया जागीर | टाईप-1 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
| 22 | भोपाल | बैरसिया | सिंधोड़ा | सिंधोड़ा | टाईप-2 | 17.00 | 3.00 | 20.00 |
| 23 | भोपाल | बैरसिया | दौलतपुरा | दौलतपुरा (बरेलाखेड़ा) | टाईप-1 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
| 24 | भोपाल | बैरसिया | रसगढ़ा | भोजापुरा | टाईप-1 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
| 25 | विदिशा | विदिशा | ठर | ठर | टाईप-2 | 17.00 | 3.00 | 20.00 |
| 26 | विदिशा | विदिशा | लशकरपुर | लशकरपुर | टाईप-1 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
| 27 | विदिशा | विदिशा | देवराजपुर | खरबई | टाईप-1 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
| 28 | सीहोरा | सीहोरा | झरखेड़ा | झरखेड़ा | टाईप-3 | 22.50 | 3.00 | 25.50 |
| 29 | सीहोरा | सीहोरा | सतपिपलिया | सतपिपलिया | टाईप-2 | 17.00 | 3.00 | 20.00 |
| 30 | सीहोरा | इछावर | सेमलीजदीद | सेमलीजदीद | टाईप-2 | 17.00 | 3.00 | 20.00 |
| 31 | भोपाल | बैरसिया | धतूरिया | दोजयाई | टाईप-1 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |

ॐ

4610/34/20


| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|----------------|-----------|--------|--------|-------|--------|
| 32 | भोपाल | बैरसिया | बिरहारयामखेड़ी | महुआखेड़ा | टाईप-1 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
| 33 | भोपाल | बैरसिया | खुकरिया | खुकरिया | टाईप-1 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
| 34 | भोपाल | बैरसिया | धूतखेड़ी | धूतखेड़ी | टाईप-1 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
| | | | | | योग | 465.50 | 82.00 | 547.50 |

2. शर्तें:-

- निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत होगी। ग्राम पंचायतों के लिये निर्धारित निर्माण कार्य की रूपये 15.00 लाख की वित्तीय सीमा में शिथिलता प्रदान की जाती है।
- निर्माण प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल के पत्र क्र.3773, दि. 14.08.2017 द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्डों एवं अवयवों के अनुसार करना होगा। प्रमुख अभियंता के इस पत्र में तकनीकी मापदंड नियत कर दिए जाने से पृथक से तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
- प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ने बाउण्ड्रीवाल की मानक लागत रूपये 3,550/-प्रति रनिंग मीटर निर्धारित की है जिसमें गेट की लागत शामिल है। बाउण्ड्रीवाल का निर्माण प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्धारित तकनीकी अवयवों एवं मापदण्डों के अनुसार करना होगा।
- संभागीय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।
- निर्माण का चरणबद्ध मानक मूल्यांकन प्रमुख अभियंता के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 14.08.2017 अनुसार मान्य होगा।
- भवन निर्माण दि. 31 अगस्त 2020 तक पूर्ण कराना होगा।
- यदि भवन किसी अन्य योजना में स्वीकृत हो तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। प्रदाय की जाने वाली राशि पंचायत राज संचालनालय को वापिस की जाए एवं इसकी सूचना संचालनालय को तत्काल दी जावे।
- निर्माण कार्य की 50 प्रतिशत राशि संबंधित निर्माण एजेन्सी को प्रथम किश्त के रूप में संचालनालय द्वारा प्रदाय की जा रही है। द्वितीय किश्त की शेष 50 प्रतिशत राशि, 60 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण होने पर संबंधित जिला पंचायतों से मांग करने पर जिला पंचायत एकजाई प्रस्ताव तैयार कर द्वितीय किश्त की राशि जारी करने हेतु संचालनालय पंचायत राज को प्रस्ताव भेजेगे।

(प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार)

संदेश - 5750000/- (एक करोड़ को 9675000/- ₹ 5000/-
कुल राशि 157,85,000/- इनमें 6255-56 के गते को 100%
05/06/2020


(व्ही.के.त्रिपाठी)

उप संचालक (निर्माण)

पंचायत राज संचालनालय (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 15/02/2020

क्रमांक/पं.रा./निर्माण-178/2020/2104

प्रतिलिपि:-

- संभागीय आयुक्त, इंदौर, भोपाल, उज्जैन एवं ग्वालियर संभाग म.प्र को सूचनार्थ।
- कलेक्टर, जिला खण्डवा, विदिशा, उज्जैन, देवास, सीहोर, भोपाल, शिवपुरी, राजगढ़ एवं बुरहानपुर को सूचनार्थ।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खण्डवा, विदिशा, उज्जैन, देवास, सीहोर, भोपाल, शिवपुरी, राजगढ़ एवं बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

5. संयुक्त संचालक (वित्त) पंचायत राज संचालनालय को निर्देशित किया जाता है कि स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत योजना क्रमांक 4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान मद में उपलब्ध राशि से संबंधित जिला पंचायत के खातों में अंतरित कर वित्तीय स्वीकृति जारी करें एवं राशि अंतरण की सूचना निर्माण अनुभाग को देवे।
6. संयुक्त संचालक (आई.टी.) पंचायत राज संचालनालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की ओर जियो टेंगिंग के साथ मॉनिटरिंग हेतु पालनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत संबंधित को पालनार्थ।
9. संबंधित सरपंच ग्राम पंचायत को पालनार्थ।



उप संचालक (निर्माण)

पंचायत राज संचालनालय (म.प्र.)

AO (G)

- 3 वरी ग्राम एकाधिकार जायदाद
 - प्रशासनिक कार्यों की सहायता
 - ग्राम नरी ग्राम (रा) के कार्यों में सहायता

18/02/2020

547.50 x 50%
 = 273.75